न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1557–तीन/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–06–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 32/अपील/05–06.

———

पीरबक्श पुत्र मुनीर खां वयस्क
निवासी ग्राम फूडरा तहसील आष्टा जिला सीहोर —— आवेदक

विरूद्ध

1– हुसैन खां पुत्र स्व0 श्री नाना खां (मृत) वारिसान –
(अ) शमशेर खां पुत्र स्व0 श्री हुसैन खां
(ब) सलीम खां पुत्र स्व0 श्री हुसैन खां
(द) शौकत खां पुत्र स्व0 श्री हुसैन खां
निवासी ग्राम फूडरा तह0 आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.)
(इ) श्रीमती अकीला बी पुत्री स्व0 श्री हुसैन खां
पत्नि श्री शाबिर खां
निवासी ग्राम पगारियाहाट तह0 आष्टा
2– अलाउद्दीन पुत्र नूरखां
3– छोटेखां पुत्र नूरखां
4– श्रीमती सुगरा बी बेवा नूरखां (मृत) वारिसान –
(अ) अलाउद्दीन पुत्र स्व0 श्री नूरखां
(ब) छोटेखां पुत्र स्व0 श्री नूरखां
निवासी ग्राम फूडरा तह0 आष्टा जिला सीहोर (म.प्र.)
(स) श्रीमती जमीला बी पुत्री स्व0 श्री नूरखां पत्नि श्री बदरूखां
निवासी जावर, तह0 जावर जिला सीहोर (म.प्र.)
(द) श्रीमती मैराज बी पुत्री स्व0 श्री नूरखां पत्नि श्री हकीम खां
निवासी घिचलाय तह0 जावर, जिला सीहोर (म.प्र.)
(इ) श्रीमती बशकर बी पुत्री स्व0 श्री नूरखां
पत्नि श्री हकीम खां
निवासी ग्राम पगारियाहाट, तह0 आष्टा जिला सीहोर
(फ) श्रीमती रेहाना बी पुत्री स्व0 श्री नूरखां
पत्नि श्री रईस खां
निवासी अल्लीपुरा आष्टा तह0 आष्टा जिला सीहोर
5– रईसाबी पुत्री अल्लाबक्श
6– बुद्धाखां पुत्र अल्लाबक्श व्यस्क
सभी निवासी ग्राम फूड़रा कृषक ग्राम केशवपुर
तह0 आष्टा जिला सीहोर (म.प्र.) ——— अनावेदकगण

————

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मेहरबान सिंह ।
अनावेदक क. 4 के वारिसों की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16 जून, 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 32/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 14–6–06 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षप में इस प्रकार हैं कि ग्राम केशवपुरी में आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1,5 एवं 6 का संयुक्त खाता किता 2 रकबा 8.35 एकड़ का था । उक्त खाते का नांमातरण आवेदक एवं अनावेदक क. 5 रईसा बी दोनों द्वारा नायब तहसीलदार, जबाव से मिलकर संशोधन पंजी क. 37 दिनांक 20.5.89 द्वारा बटवारा कर लिया गया एवं तद्नुसार नामांतरण करा लिया। जिसमें आवेदक के हिस्से में 4.71 एकड़ भूमि आई। इस आदेश के विरूद्ध पूर्व सहखातेदारों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 29.8.05 द्वारा स्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि सहमति के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा बटवारा किया गया था । एस.डी.ओ. के समक्ष अपील अवधि बाह्य थी जिसे स्वीकार करने में उन्होंने त्रुटि की है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने भी एस.डी.ओ. के आदेश को स्थिर रखकर त्रुटि की गई है । यह आधार भी लिया गया कि सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश को अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है । उक्त आधार पर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा कोई इश्तहार जारी नहीं किया गया। संशोधन पंजी में

अनावेदक का नाम था । व्यवहार न्यायालय के जिस स्थगन आदेश का हवाला दिया गया है उसका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है । अंत में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया गया । यह प्रकरण बटवारा और नामांतरण का है । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया है जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के तथ्यों की विवेचना करते हुए यह पाया है कि विचारण न्यायालय में कार्यवाही कपटपूर्ण तरीके से हुई है और नामांतरण आदेश देते समय बटवारा नहीं किया जा सकता इस वैधानिक स्थिति को देखते हुए अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकीरके प्रत्यावर्तन आदेश को स्थिर रखा है । प्रकरण के तथ्यों को देखते अपर आयुक्त का आदेश न्यायिक परंपरा के अनुरूप होकर उचित और न्यायिक है, उसमे ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण प्रकरण में हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर